संख्या– 399/11–6–10–एम(15)/2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः **केबिल टी0वी0 नेटवर्क केन्द्रों पर वर्ष 2003–04 से 2009–10 तक की अवधि के बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की सम्पूर्ण धनराशि को जमा कराने हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।**

महोदय,

केबिल संचालकों द्वारा विलम्ब से जमा किये गये मनोरंजन कर पर, उ0प्र0 केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम–11 के प्राविधानों के अनुसार 2 प्रतिशत मासिक अर्थात् 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में एवं इसके उपरांत केबिल कनेक्शनों की वास्तविक संख्या एवं उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही मासिक धनराशि की जानकारी हेतु प्रदेश भर में कराये गये **डोर–टू–डोर** सर्वे के अतिरिक्त समय–समय पर **सैम्पुल सर्वे** का कार्य भी किया गया। इन सर्वे अभियानों में पुष्ट पाये गये करापवंचन से हुई क्षति की पूर्ति हेतु अधिनियम /नियमावली की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मनोरंजन कर के निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही में हुए स्वाभाविक विलम्ब के कारण अधिकांश केबिल संचालकों द्वारा सुसंगत अवधि में, वास्तविक देय मनोरंजन कर के सापेक्ष आंशिक मनोरंजन कर का ही भुगतान किया गया, जिस कारण मनोरंजन कर एवं ब्याज के बकाये के मद में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती गयी। इस कारण एक ओर जहॉ केबिल टी0वी0 सेवा पर भारी राजस्व बकाया हो गया है वहीं दूसरी ओर अधिरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज का एक साथ भुगतान किये जाने में प्रदेश के केबिल संचालकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

2. अतः मनोरंजन कर विभाग में भी केबिल नेटवर्कों पर बकाया मनोरंजन कर, शास्ति एवं बकाया ब्याज को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा कराये जाने के उददेश्य से सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **वर्ष 2003–04 से वर्ष 2009–10 तक मनोरंजन कर विभाग के अन्तर्गत केबिल टी0वी0 नेटवर्क केन्द्रों/आपरेटरों द्वारा यदि बकाया मनोरंजन कर पर नियमानुसार देय ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिरोपित मनोरंजन कर एवं**

संख्या– 399/11–6–10–एम(15)/2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः **केबिल टी0वी0 नेटवर्क केन्द्रों पर वर्ष 2003–04 से 2009–10 तक की अवधि के बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की सम्पूर्ण धनराशि को जमा कराने हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।**

महोदय,

केबिल संचालकों द्वारा विलम्ब से जमा किये गये मनोरंजन कर पर, उ0प्र0 केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम–11 के प्राविधानों के अनुसार 2 प्रतिशत मासिक अर्थात् 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में एवं इसके उपरांत केबिल कनेक्शनों की वास्तविक संख्या एवं उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही मासिक धनराशि की जानकारी हेतु प्रदेश भर में कराये गये **डोर–टू–डोर** सर्वे के अतिरिक्त समय–समय पर **सैम्पुल सर्वे** का कार्य भी किया गया। इन सर्वे अभियानों में पुष्ट पाये गये करापवंचन से हुई क्षति की पूर्ति हेतु अधिनियम /नियमावली की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मनोरंजन कर के निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही की गयी। इस कार्यवाही में हुए स्वाभाविक विलम्ब के कारण अधिकांश केबिल संचालकों द्वारा सुसंगत अवधि में, वास्तविक देय मनोरंजन कर के सापेक्ष आंशिक मनोरंजन कर का ही भुगतान किया गया, जिस कारण मनोरंजन कर एवं ब्याज के बकाये के मद में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती गयी। इस कारण एक ओर जहॉ केबिल टी0वी0 सेवा पर भारी राजस्व बकाया हो गया है वहीं दूसरी ओर अधिरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज का एक साथ भुगतान किये जाने में प्रदेश के केबिल संचालकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

2. अतः मनोरंजन कर विभाग में भी केबिल नेटवर्कों पर बकाया मनोरंजन कर, शास्ति एवं बकाया ब्याज को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा कराये जाने के उददेश्य से सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **वर्ष 2003–04 से वर्ष 2009–10 तक मनोरंजन कर विभाग के अन्तर्गत केबिल टी0वी0 नेटवर्क केन्द्रों/आपरेटरों द्वारा यदि बकाया मनोरंजन कर पर नियमानुसार देय ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिरोपित मनोरंजन कर एवं**

शास्ति की धनराशि एकमुश्त रूप में इस शासनादेश के जारी होने से 90 दिन के अन्दर जमा कर दी जाती है तो अवशेष 50 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जायेगा। किसी भी केबिल संचालक/स्वामी को 1/2 भाग बकाया ब्याज की छूट मनोरंजन कर, शास्ति तथा 1/2 भाग ब्याज की राशि राजकोष में जमा कराने पर ही अनुमन्य होगी।

3. अतः अनुरोध है कि समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए केबिल टी0वी0नेटवर्क केन्द्रों के स्वामियों/संचालकों पर बकाया मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति को जमा कराये जाने के संबंध में उपर्युक्त निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन एवं आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

3/3/11

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–399 (1)/11–6–10, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि समाधान योजना के अन्तर्गत बकाया मनोरंजन कर, शास्ति एवं ब्याज के भुगतान हेतु एक 'स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा' तैयार कराकर समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करा दें एवं विभाग के जनपदीय अधिकारियों को गणना हेतु प्रशिक्षित करते हुए 'सेन्सटाइज' (सुग्राहीकृत) कर दें ताकि समान रूप से समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ समस्त सम्बन्धित को प्राप्त हो सके।

2– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।